



2026:AHC:41046-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

क्रिमिनल मिसलेनियस रिट याचिका संख्या: - 2944 वर्ष 2026

राजेश कुमार मौर्य

.....याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

..... प्रतिवादी(यों)

याचिकाकर्ता(ओं) की ओर से अधिवक्ता : राम कृष्ण मिश्रा, रवि प्रकाश चौरसिया

प्रतिवादी(यों) की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर सरकारी अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. प्रस्तुत रिट याचिका याची द्वारा निम्नलिखित राहतों की प्रार्थना करते हुए दाखिल की गई है:-

“(क) प्रतिवादी संख्या-2 एवं 3 को यह निर्देश देने हेतु परमादेश की प्रकृति में कोई रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी किया जाए कि वे याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 09.10.2025 को थाना हलिया, जनपद मिर्जापुर में दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट, जो कि अपराध संख्या 170 सन् 2025, धारा 85, 80(2) भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है, के संबंध में निष्पक्ष विवेचना सुनिश्चित करें।

(ख) प्रतिवादी संख्या-2 एवं 3 को यह निर्देश देने हेतु परमादेश की प्रकृति में कोई रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी किया जाए कि वे उक्त अपराध संख्या में निजी प्रतिवादियों के संबंध में प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

(ग) प्रतिवादी संख्या-2 एवं 3 को यह निर्देश देने हेतु परमादेश की प्रकृति में कोई रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी किया जाए कि वे निजी प्रतिवादी संख्या-4 एवं 5, अर्थात्

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रेमकली पत्नी अनिल कुमार (जेठानी) तथा विनय कुमार मौर्य पुत्र उद्धव मौर्य (देवर), जो मृतका से संबंधित हैं, की गिरफ्तारी सुनिश्चित करें।”

(घ) ऐसी अन्य कोई रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी किया जाए, जो इस माननीय न्यायालय को प्रकरण की परिस्थितियों में उचित एवं न्यायसंगत प्रतीत हो।”

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता इस प्रकरण में प्रथम सूचनाकर्ता है तथा यद्यपि वर्तमान प्रकरण में दिनांक 09.10.2025 को प्राथमिकी दर्ज की गई है, तथापि पुलिस द्वारा मामले की विवेचना निष्पक्ष एवं पक्षपातरहित ढंग से नहीं की जा रही है।

4. उपर्युक्त परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि वह अपनी शिकायतों को रेखांकित करते हुए तथा निष्पक्ष एवं निष्कपट विवेचना की मांग करते हुए प्रतिवादी संख्या-2/पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत करे। यदि याचिकाकर्ता द्वारा ऐसा आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो प्रतिवादी संख्या-2/पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर वर्तमान प्रकरण में निष्पक्ष, पक्षपातरहित एवं त्वरित विवेचना सुनिश्चित करेंगे।

5. उपर्युक्त आदेश के साथ, वर्तमान रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

24 फरवरी, 2026

वी.के.जी.

(न्यायमूर्ति अचल सचदेव)

(न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।